

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9
संख्या-607/छ:-पु0-9-19-20(10)(9)/89टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 28 फरवरी, 2019

**अधिसूचना
(शक्ति)**

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम सं0-2, सन् 1974) की धारा-21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, व्यावसायिक परीक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की लिखित विषयों की सेमेस्टर प्रणाली एस0सी0वी0टी0 प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा फरवरी/मार्च-2019 के समस्त केन्द्रों के अधीक्षकों को दिनांक 26.02.2019 से दिनांक 09.03.2019 तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे और उन्हें संबंधित केन्द्र जिसके वे अधीक्षक हैं की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन ऐसे कार्यपालक को प्रदान की जा सकती हैं।

**भगवान स्वरूप
सचिव।**

संख्या-607(1)/छ:-पु0-9-2019, तददिनांक-

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित निदेशक, राजकीय मुद्रणालय इलहाबाद को गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4, खण्ड-'ख' में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की मुद्रित 10 गजट प्रतियां शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(सुनील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-607(2)/छ:-पु0-9-2019, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- (3) सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उनके अर्द्ध शा0पत्र संख्या-8209/रा0व्या0प्रशि0परि0/एस0सी0वी0टी0 सेमेस्टर परीक्षा, फरवरी/मार्च-2019/ईएक्स-004 दिनांक 20.02.2019 के संदर्भ में।
- (4) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- (5) अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा परिषद, उ0प्र0, अलीगंज, लखनऊ।
- (6) समस्त केन्द्र अधीक्षक, द्वारा-व्यवसायिक परीक्षा परिषद, उ0प्र0, अलीगंज, लखनऊ।
- (7) व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/गोपन अनुभाग-2
- (8) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
- (9) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(सुनील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।